

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा

क्रमांक 1897 /स्था. /विज्ञप्त /2018

दिनांक 25/7/18

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के अधीन निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं -

प्राध्यापक/सह प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापक/प्रदर्शक-ट्यूटर

क्र.	विषय	प्राध्यापक				सह प्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक				प्रदर्शक/ट्यूटर			
		UR	S C	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	एनाटमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	फिजियोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3	बायोकेमिस्ट्री	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	पैथोलॉजी	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-
5	फॉरेंसिक मेडिसिन	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
7	फार्माकोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8	कम्युनिटी मेडिसिन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
9	एनेस्थेसिया	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	रेडियोलॉजी	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	कुल-24	Nil				UR-4, ST-2 = 6				UR-2, ST-5 = 7				UR-3, SC-2, ST-6 = 11			

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।

-पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। अभ्यर्थी का आधार के माध्यम से (E-KYC) आवेदन पत्र ही मान्य होगा।

1. वेतनमान - नियमित नियुक्ति हेतु

प्राध्यापक	-	37400-67000+	ग्रेड-पै 10000+डी0ए0
सह प्राध्यापक	-	37400-67000+	ग्रेड-पै 9000+डी0ए0
सहायक प्राध्यापक	-	15600-39100+	ग्रेड-पै 7000+डी0ए0
प्रदर्शक/ट्यूटर	-	15600-39100+	ग्रेड-पै 6000+डी0ए0

टीप -समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

2. आयु सीमा -	न्यूनतम
प्राध्यापक	- 35 वर्ष
सह प्राध्यापक	- 30 वर्ष
सहायक प्राध्यापक	- 25 वर्ष
प्रदर्शक/ट्यूटर	- 22 वर्ष

टीप - आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।
 - जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
4. अर्हताये :-
 - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्/भारतीय दन्त परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता ।
5. निरर्हतायें-
 - 5.1 विकृत चित्त वाला होने पर ।
 - 5.2 दुश्चरित्र होने पर ।
 - 5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो ।
 - 5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा ।
 - 5.5 विवाह संबंधी- जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे ।
 - 5.6 ऐसे उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश के किसी भी नये स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, एवं चयन होने पर पद भार ग्रहण नहीं किया है, वह उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।
 - 5.7 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर ।
 - 5.8 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो ।
 - 5.9 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो ।
 - 5.10 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ न पाया जाना ।
6. सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी। यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा स्वशासी महाविद्यालय में एक वर्ष की अवधि के लिये सीनियर रेसीडेन्ट डॉक्टर के पद पर संतोषजनक कार्य किया हो तो उसे सीधे नियमित सेवा में नियुक्ति दी जा सकेगी।
7. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा ।
8. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा ।
9. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा ।

10. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष , जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवाएँ देनी होंगी । आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन / मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी ।


11. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।

12. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के लिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा एवं गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में आवेदन पत्र दिनांक 07/08/2018 सायं 05.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा एवं गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की आवक शाखा में जमा कराये जा सकते हैं एवं अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्कैन कराकर स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा की ई-मेल आई.डी.दे.एंग.मे.विदिशा@gmail.com पर भी भेजा जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित...श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार की तिथि 13 एवं 14 अगस्त निर्धारित है, इस संबंध में किसी भी प्रकार के संशोधन किये जाने की जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट www.gmcvidisha.org पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन कर सकता है, परन्तु उसे समस्त पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा।

13. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

14. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.gmcbhopal.net पर एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा की वेबसाइट www.gmcvidisha.org उपलब्ध है ।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताएँ और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा
DEAN
GOVT. MEDICAL COLLEGE
VIDISHA (M.P.)



शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा

क्रमांक 1897 /स्था. /विज्ञप्त /2018

दिनांक :- 25/7/18

// विज्ञप्ति सूचना //

1. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के अधीन प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं प्रदर्शक-ट्यूटर के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। इस हेतु आवेदन पत्र स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में एवं गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दिनांक 07/08/2018 सायं 5:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.gmcbbhopal.net पर एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा की वेबसाईट www.gmcvidisha.org पर उपलब्ध है।
2. आवेदन पत्र डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा एवं गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की आवक शाखा में जमा कराये जा सकते हैं एवं अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्केन करारकर स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा की ई-मेल आई.डी. deangmcvidisha@gmail.com पर भी भेजा जाना अनिवार्य है।
- 3- आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय..... तथा आवेदित पद का नाम.....और आरक्षित/अनारक्षित....श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा


आवेदन का प्रारूप

पद—.....

विषय—.....

जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्वप्रमाणित
फोटो

1. आवेदक का नाम
2. पुरुष/महिला.....
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान पद एवं कार्यस्थल /संस्थान.....
5. वर्तमान संस्थान जहाँ पर कार्यरत है, प्रायवेट है या ग्रासकीय है.....
6. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं..... ईमेलआईडी.....
7. स्थाई पता.....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....
8. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)
9. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
10. दिनांक 01/01/2019 को आवेदक की आयुदिन माह वर्ष
11. आवेदक की वैवाहिक स्थिति— विवाहित/अविवाहित
12. विवाह का दिनांक—
13. विवाह के समय आपकी उम्रपति/पत्नि की उम्र.....
14. आपके बच्चों की संख्या
15. यदि बच्चों की संख्या ≥ 3 है तो सबसे छोटे बच्चे का जन्म दिनांक.....

16. वर्ग जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

17. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक

अ. (एम.बी.बी.एस.)-

ब. एमडी/एमएस-

स. एमसीएच/डीएम-

18. शैक्षणिक योग्यताएं (एम.बी.बी.एस.):-(प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/ वि.वि.	वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7

1 MBBS First Prof.

2 MBBS Second Prof.

3 MBBS Final Part I

4 MBBS Final Part II

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरें)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

19. शैक्षणिक योग्यताएं (एम.डी/एम.एस.):-

(प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/ वि.वि.	वर्ष	विषय	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6

1 MD/MS/MCH/DM

2 S.R.

20. शैक्षणिक अनुभव :-

POST	Name of Institute	Recognized by MCI (Yes/No)	From	To	Duration
Professor					
Associate Professor					
Assistant Professor					
SR					
Tutor /Demonstrator					

21. रिसर्च पब्लिकेशन :-

Mention only original research articles/papers(No case reports/case series etc) [To fill columns 1 to 6]

Mention only original articles as first/second/ Corresponding author

S. No.	Publication Title & Journal Detail	Type Of Article	Published During Tenure Of Professor /Assoc. Prof./Assistant Prof./Pg/TuTor	Author Number First / Second/ Corresponding Author	Indexed In (As Per Mci Norms*) & ISSN no.	Journal Type National (N)/ International (I)	Approval As Per Mci Norms* /Comment Of Subject Expert	Approval As Per Mci Norms /Comments Of Scrutiny Committee
	1	2	3	4	5	6		
1								
2								
3								
4								
5								
6								

7								
8								
9								
10								

* 1. SCOPUS , 2. PUB MED, 3.MEDLINE, 4.EMBASE/ EXCERPTA MEDICA, 5.INDEX MEDICUS, 6. INDEX COPERNICUS

22- Additional Achievement-

Written book / Chapter in book	
Editor / Member editorial board	Name-
Organized Conference National / State	Yes/ No If yes as President /Secretary
Awarded for	
Fellowship/JR ship	
Any Extracurricular Activities	

23. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -----

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक.....

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर